



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228178
CG-DL-E-08072021-228178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]
No. 385]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ़ 17, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 483(अ).—केंद्रीय सरकार, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इन नियमों का संक्षिप्त नाम लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) अभिप्रेत है;

(ख) “उपनियम” से अधिनियम की धारा 37 के अधीन बनाए गए उपनियम अभिप्रेत हैं;

(ग) “समिति” से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित शिकायत प्रतितोषण और विवाद समाधान समिति अभिप्रेत है;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों में का कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) “सरकार” से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(च) “स्थानीय प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) “नगरपालिका आयुक्त” से किसी नगर निगम का आयुक्त या किसी नगर परिषद् का मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, यदि कोई हो, या छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) “स्कीम” से अधिनियम की धारा 38 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है;

(झ) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

पथ विक्रय का विनियमन

3. विक्रय का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आयु विहित करना- कोई पथ विक्रेता, जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अधिनियम की धारा 4 के अधीन उपबंधित रीति में विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

अध्याय 3

विवाद समाधान तंत्र

4. शिकायत प्रतितोषण और विवाद समाधान समिति का गठन- (1) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए एक शिकायत प्रतितोषण और विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष, जो सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो तथा सदस्यों के रूप में दो अन्य वृत्तिकों से मिलकर बनेगी।

(2) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परंतु कोई अध्यक्ष उस रूप में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव- कोई व्यक्ति समिति के वृत्तिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह,—

- (i) पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का है किन्तु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं है;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री रखता है; और
- (iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा का व्यक्ति है तथा उसके पास कम से कम दस वर्षों का सामाजिक कार्य का या पथ विक्रेताओं से संबंधित समस्याओं से निपटने का या सार्वजनिक मामलों या नगरपालिका या लोक प्रशासन की पर्याप्त जानकारी या अनुभव है ;

6. अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और अन्य भत्ते तथा सेवा की निबंधन और शर्तें- (1) समिति का अध्यक्ष और सदस्य ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेंगे, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) सरकार, अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा अन्य वित्तीय हित अर्जित कर लिया है जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में की गई जांच के उसके सिवाय पद से उपनियम (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर नहीं हटाया जाएगा।

(3) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान उनके अलाभप्रद रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

7. समिति को आवेदन करने का प्ररूप और रीति- (1) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्रतितोषण या किसी विवाद समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप -1 में किया जाएगा।

(2) आवेदन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उसे उसके द्वारा स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समिति को या ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा जिसे समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(3) आवेदन तीन सेटों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ एक सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।

(4) आवेदन के साथ आदेश या सूचना, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है और सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे।

(5) पथ विक्रेता द्वारा ऐसा आवेदन शिकायत या विवाद कारित करने वाली किसी घटना के होने की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु समिति विलंब को ऐसी दशा में माफ कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को विहित समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था।

8. आवेदन के सत्यापन की रीति और जांच- (1) शिकायत को दूर करने के लिए प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने पर समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और क्रम संख्यांक रूप से संख्यांकित की जाएगी।

(2) इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति रजिस्टर में प्रविष्ट करने के पश्चात् आवेदन को समिति के समक्ष रखेगा।

(3) समिति, आवेदन की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगी जो आवेदन फाइल करने की तारीख से पन्द्रह दिन से परे नहीं होगी और पक्षकारों को सुनवाई की नोटिस जारी करेगी।

(4) समिति, उपनियम (3) के अधीन किसी नोटिस को जारी करते समय प्रत्यर्थी को एक लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कहेगी।

(5) पक्षकारों की हाजिरी के लिए इस प्रकार नियत तारीख को समिति आवेदक को त्रुटियों, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिए कह सकेगी या पक्षकारों को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने को या ऐसे अन्य दस्तावेज या साक्ष्य, जो वह ठीक और समुचित समझे, उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगी।

(6) समिति, पक्षकारों द्वारा किए गए प्रतिविरोध के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के निर्देश के साथ एक फील्ड जांच का भी आदेश कर सकेगी।

(7) समिति दोनों पक्षकारों को सुनने और मामले के अभिलेख की जांच करने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने के साठ दिन के भीतर, आवेदन का विनिश्चय करेगी और ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह ठीक और समुचित समझे :

परंतु मामले की सुनवाई के दौरान यदि समिति का समाधान हो जाता है कि कोई अंतरिम अनुतोष दिया जाना चाहिए तो समिति ऐसे मामले के समाप्त होने तक या अतिरिक्त आदेश तक ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी।

(8) समिति पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना का भी पता लगाएगी और पक्षकारों के बीच समझौता हो जाने की दशा में समझौते को अभिलिखित करेगी, जिस पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों या अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और ऐसे समझौते के निबंधनों में आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(9) समिति किसी ऐसे आवेदन को ग्रहण नहीं करेगी जहां,—

(क) आवेदन अनाम है या उसमें साधारण और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) मामला किसी विधि के न्यायालय, अधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के पास विचाराधीन है ;

(ग) मामला अधिनियम के क्षेत्राधिकार के परे है ;

(घ) आवेदक को आवेदन फाइल करने के लिए सुने जाने का अधिकार नहीं है ।

अध्याय 4

अपील

9. समिति के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील- (1) समिति के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा प्ररूप-2 में स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे आदेश या विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना के तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी ऐसी दशा में विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को विहित समय के भीतर अपील करने से निवारित करने के पर्याप्त कारण थे ।

(2) अपील एक ज्ञापन के रूप में होगी और इस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह इसे वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(3) अपील ज्ञापन के साथ उस मूल आदेश या आदेश की प्रमाणित प्रति होगी, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(4) अपील तीन सेटों में की जाएगी और उसके साथ 200 रुपए की फीस संलग्न होगी ।

(5) ऐसी किसी अपील को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसकी एक प्रति, यथास्थिति, प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों को तामील न कर दी गई हो और ऐसी तामील का सबूत फाइल न कर दिया गया हो ।

(6) किसी अपील को वहां ग्रहण नहीं किया जाएगा जहां आदेश समिति द्वारा पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में पारित किया गया है ।

10. नगर विक्रय समिति के विनिश्चय से अपील : (1) विक्रय प्रमाणपत्र को जारी करने या निरस्त करने या रद्द करने की बाबत नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध धारा 11 के अधीन कोई अपील स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना के तीस दिन के भीतर प्ररूप-3 में अपील कर सकेगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी ऐसी दशा में विलंब को माफ कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को विहित समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था :

परंतु यह और कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी सदस्य द्वारा स्थानीय प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की जा सकेगी ।

(2) अपील एक ज्ञापन के प्ररूप में होगी और इस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह इसे वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करेगा ।

(3) अपील ज्ञापन के साथ मूल आदेश या आदेश की प्रमाणित प्रति होगी, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(4) अपील तीन सेटों में की जाएगी और उसके साथ 200 रुपए की फीस संलग्न होगी ।

(5) ऐसी किसी अपील को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसकी एक प्रति, ऐसी अपील फाइल करने से पूर्व नगर विक्रय समिति को तामील न कर दी गई हो और ऐसी तामील का सबूत अपील के साथ फाइल न कर दिया गया हो ।

11. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया-- (1) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति इस प्रयोजन से रखे गए रजिस्टर में उस तारीख को, जिसको अपील प्रस्तुत की गई है, अपील की प्रविष्टि करेगा ।

(2) अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी, जो अपील की सुनवाई के लिए आवेदन फाइल की जाने की तारीख से 15 दिन के पश्चात् का न हो, सुनवाई की तारीख नियत करेगा और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना की तामील कारित करेगा ।

(3) अपील प्राधिकरण पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष की गई दलीलों के आधार पर और मामले के अभिलेखों और फील्ड जांच के आधार पर, यदि कोई हों, आदेश किया गया हो, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अपील किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या उसे निरस्त करते हुए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपील की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे :

परंतु मामले की सुनवाई के दौरान, यदि स्थानीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अंतरिम अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए तो स्थानीय प्राधिकारी ऐसे मामले की समाप्ति तक या अतिरिक्त आदेश करने तक ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ।

अध्याय 5
नगर विक्रय समिति

12. नगर विक्रय समिति का गठन- (1) सरकार स्थानीय प्राधिकरण में एक नगर विक्रय समिति का गठन करेगी :

परंतु सरकार, यदि आवश्यक समझे तो प्रत्येक जोन या वार्ड के लिए एक से अधिक नगर विक्रय समिति का गठन का उपबंध कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर विक्रय समिति के अन्य सदस्यों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार होगी :--

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों की संख्या
(i)	स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य, स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकारी, यातायात पुलिस, पुलिस, बाजार संध, व्यापार संध, निवासी कल्याण संगम और ऐसे अन्य हित	03
(ii)	पथ विक्रेता (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व के साथ उनमें एक तिहाई महिला विक्रेता होंगी)	04
(iii)	गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य और समुदाय आधारित संगठन	01
(iv)	बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य	01

(4) गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों या समुदाय आधारित संगठनों या निवासी कल्याण संगमों का नामनिर्देशन सरकार द्वारा अधिकथित ऐसे मानदंड के आधार पर, जो कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित कर या किसी अन्य रीति में विज्ञापित करने के पश्चात् आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

13. पथ विक्रेताओं में से सदस्यों का निर्वाचन करने की रीति- (1) स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा अपनी के अधीन क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए निर्वाचन करेगा।

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन का संचालन करने के लिए एक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्ति रिटर्निंग आफिसर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में उपबंधित रीति में निर्वाचनों का संचालन करेगा।

(4) कोई पथ विक्रेता सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित होगा यदि वह,--

(i) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ii) शारीरिक रूप से और या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है।

(3) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रेताओं में से निर्वाचित सदस्यों के नामों को सरकार को संसूचित किया जाएगा, जो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य नामों के साथ ऐसे नामों की प्राप्ति पर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में नगर विक्रय समिति के गठन को अधिसूचित करेगी।

14. सदस्यों की पदावधि- (1) नगर विक्रय समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से पांच वर्ष होगी।

(2) अन्य सदस्यों के नामनिर्देशन की प्रक्रिया उनकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व पूरी कर ली जाएगी।

15. सदस्यों का हटाया जाना-- (1) नगर विक्रय समिति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि वह,--

(क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करता है या उनका दुरुपयोग करता है ;

(ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है ;

(ग) किसी विधि के न्यायालय द्वारा किसी दांडिक मामले में सिद्धदोष है :

परंतु ऐसे सदस्य को उसको हटाए जाने से पूर्व सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

16. रिक्त स्थानों को भरने की रीति--(1) जहां किसी नगर विक्रय समिति में किसी पथ विक्रेता से भिन्न किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाने या अन्यथा कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियम 12 में विनिर्दिष्ट उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, की पदावधि की शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा ।

(2) यदि नगर विक्रय समिति में किसी सदस्य, जो पथ विक्रेता है, के त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाने या अन्यथा कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो स्थानीय प्राधिकरण नियम 13 में यथाविनिर्दिष्ट उस रिक्ति को भरेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, की पदावधि की शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा ।

17. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते- नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए केवल एक हजार रुपए संदेय होंगे ।

18. नगर विक्रय समिति की बैठकें--(1) साधारणतया, नगर विक्रय समिति तीन मास की अवधि में या ऐसे अंतरालों पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, उसके कारबार के संचालन के लिए एक बैठक आयोजित करेगी :

परंतु नगर विक्रय समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा उसके गठन के 45 दिन के भीतर बुलाई जाएगी :

परंतु यह और कि समिति के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के अनुरोध पर किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा अध्यापेक्षित बैठक बुलाई जा सकेगी और इस प्रकार किए गए अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात् 72 घंटों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी ।

(2) ऐसी बैठकें स्थानीय प्राधिकरण के मुख्यालय में या स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थान पर जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, आयोजित की जाएंगी ।

(3) किसी अनुसूचित बैठक के 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को बैठक के एंजेडा सहित सूचना जारी की जाएगी ।

(4) बैठक की गणपूर्ति समिति की कुल संख्य के दो तिहाई सदस्यों से होगी ।

(5) गणपूर्ति की अनुपस्थिति में कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी और गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाएगी ।

19. कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया--(1) नगर विक्रय समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसा अन्य सदस्यों के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उप विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नगर विक्रय समिति की बैठक में संकल्प उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाए, जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, सदस्यों के बीच बैठक के एक मास के भीतर परिचालित किया जाएगा और उसकी वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर प्रकाशित किया जाएगा ।

20. नगर विक्रय समिति के कृत्य-- नगर विक्रय समिति निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) विक्रय के लिए स्थल और स्थान की पहचान करना;

(ख) सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ न होने का सुनिश्चय करने के लिए विक्रय के समय का विनियमन करना;

(ग) पथ विक्रेताओं द्वारा अननुपालन के विरुद्ध सुधारकारी तंत्र के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना;

(घ) समिति और स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई;

(ङ) अपने कृत्यों का दक्ष निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए बैठकें आयोजित करना और समुचित विनिश्चय करना;

(च) कम से कम एक स्थानीय भाषा, प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में पथ विक्रेता चार्टर को प्रकाशित करना और उसका कार्यालय और अन्य स्थानीय निकायों के कार्यालयों में प्रदर्शन करना, उसमें उस समय को, जिसके भीतर पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तथा वह समय, जिसके भीतर विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण किया जाएगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निष्पादित किए जाने वाले अन्य क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करना; और

(छ) अधिनियम और नियमों के दक्ष कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो उसे स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

21. विशेषज्ञ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त करना—(1) नगर विक्रय समिति किसी विख्यात समुचित व्यक्ति को, जिसके पास उस क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी और अनुभव हो, पथ विक्रेताओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी या व्यवसायिक परामर्श अभिप्रास करने के लिए सहयुक्त कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का चयन उचित और पारदर्शी रीति में और सरकारी विभागों में परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को तकनीकी या व्यवसायिक विशेषज्ञ के रूप में नियोजित करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भत्ते संदत्त किए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त व्यक्ति नगर विक्रय समिति की बैठकों में भाग ले सकेगा किंतु ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

22. नगर विक्रय समिति के कर्मचारी—स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति को उतनी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जैसा कि उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उचित समझे।

अध्याय 1

प्रकीर्ण

23. अभिलेखों का रखा जाना—प्रत्येक नगर विक्रय समिति रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं के, जिन्हें विक्रय का प्रमाण-पत्र इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में या मैनुअली या दोनों प्ररूपों में, जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, दिया गया है, के अद्यतन अभिलेख रखेगी।

24. नगर विक्रय समिति द्वारा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक नगर विक्रय समिति प्ररूप 4 में व्यौरों सहित प्रत्येक वर्ष के लिए आवधिक विवरण तैयार करेगी और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

25. स्कीम के प्रकाशन की रीति—(1) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के सारांश का दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका उसकी स्थानीय अधिकारित के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालन हो, में सरकार द्वारा स्कीम को अधिसूचित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशन किया जाएगा।

(2) सूचना पर, यथास्थिति, नगर पालिका आयुक्त या स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) सूचना ऐसी भाषा या भाषाओं में होगी, जो इस निमित्त यथास्थिति, नगर पालिका आयुक्त या स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुसूची

[नियम 13 देखें]

[पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन करने की प्रक्रिया]

1. संबंधित स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन का पर्यवेक्षण करेगा, निदेश देगा और नियंत्रण करेगा।

2. नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने आशय को अभिव्यक्त करने की अधिसूचना जारी करने और उस नियम के उपनियम (2) के अधीन निर्वाचनों का संचालन करने के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति किए जाने पर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचनों का संचालन करने के लिए संकल्प द्वारा तारीख, समय और स्थान का अवधारण करेगा।

3. संकल्प की सूचना या स्थानीय प्राधिकरण के विनिश्चय को नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय की वृत्ति में लगे हुए पथ विक्रेताओं के बीच निम्नलिखित में से किसी एक ढंग द्वारा परिचालित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा के किन्हीं दो प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में लोक सूचना के प्रकाशन द्वारा, जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण उचित समझे ;

(ख) स्थानीय परिदान द्वारा ;

(ग) डाक प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा ;

(घ) स्पीड पोस्ट या स्थानीय प्राधिकरण के पास सम्यक्तः रजिस्ट्रीकृत कुरियर सेवाओं के साथ रिटर्निंग आफिसर के सूचना पट पर और ऐसी सूचना में निम्नलिखित के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी,—

(i) निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों या किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित स्थान हैं;

(ii) तारीख, स्थान और समय, जिसके बीच नामनिर्देशन पेपर फाइल किए जाएंगे, के लिए ऐसी तारीख निर्वाचन के लिए नियत तारीख से सात स्पष्ट दिन से अन्यून नहीं होगी या यदि ऐसा दिन सार्वजनिक अवकाश का होता है तो उस सार्वजनिक अवकाश का उत्तरवर्ती अगला दिन;

स्पष्टीकरण—“सार्वजनिक अवकाश” पद से कोई दिन अभिप्रेत है, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के अधीन कोई सार्वजनिक अवकाश है या कोई ऐसा दिन, जिसे सरकार द्वारा उस सरकार के अधीन कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश अधिसूचित किया गया है;

(iii) नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा के लिए तारीख और समय;

(iv) मतदान के लिए तारीख, स्थान और समय ।

4. स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की, जो कि नामनिर्देशन आमंत्रित करने की तारीख से 30 दिन पूर्व उसके क्षेत्र में है, की एक सूची तैयार करेगी और उक्त सूची की प्रतियों को नगर विक्रय समिति के कार्यालय के सूचना पट पर नामनिर्देशन आमंत्रित करने के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व चस्पा करेगी ।

5. सूची में पथ विक्रेता के विक्रय की रजिस्ट्रीकरण संख्या या प्रमाणपत्र संख्या और पथ विक्रेता के नाम, यथास्थिति, पिता या पति के नाम को और पते को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

6. यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण पथ विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर तैयार करेंगे तथा ऐसे अभिलेखों, रजिस्टर या रजिस्टरों को रिटर्निंग आफिसर को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नियत तारीख से 30 दिन पूर्व सौंपेंगे, जैसा कि वह अपेक्षा करे ।

7. सूची की एक प्रति, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस के संदाय पर प्रदान की जाएगी ।

8. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन प्ररूप-5 में किया जाएगा, जिसको रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी पथ विक्रेता को बिना किसी लागत के प्रदान किया जाएगा ।

9. अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन पेपरों के साथ प्रत्याभूति जमा के दो हजार रुपए नकद या बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के रूप में देंगे और यदि वह मतदान किए गए मतों के 1/6 मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो प्रत्याभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा ।

10. प्रत्येक नामनिर्देशन पेपर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाएगा ।

11. रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपर पर क्रम संख्या दर्ज करेगा और उस तारीख और समय को प्रमाणित करेगा जिस पर उसके द्वारा नामनिर्देशन प्राप्त किया गया है तथा तुरंत नगर विक्रय समिति या रिटर्निंग आफिसर की मुहर लगी लिखित अभिस्वीकृति देगा ।

12. कोई नामनिर्देशन पेपर जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर या उससे पूर्व प्राप्त नहीं किया जाता है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

13. नामनिर्देशन पेपरों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख से पश्चातवर्ती दिन को रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा करेगा।
14. रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपरों की जांच करेगा और आक्षेप जो किसी व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशन के संबंध में किए गए हैं, ऐसे आक्षेप किए जाने पर या स्वप्रेरणा से और ऐसी त्वरित जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हों, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर उचित समझे, किसी नामनिर्देशन को अस्वीकार करेगा :
- परंतु किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को केवल उसके नाम या उसके प्रस्तावक या समर्थक के गलत विवरण या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों, जैसा कि पैरा 4 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में दर्ज है, से संबंधित गलत विवरण के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा यदि, यथास्थिति, अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक की पहचान किसी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित की जाती है।
15. रिटर्निंग आफिसर, यथास्थिति, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या प्रस्तावक या समर्थक को सभी नामनिर्देशन पेपरों की जांच करने का और स्वयं का यह समाधान करने की सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम को सम्मिलित किया जाना वैध है।
16. रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन पेपर पर, यथास्थिति, स्वीकार करने या स्वीकार करने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पेपर अस्वीकार किया जाता है तो वह ऐसे अस्वीकार किए जाने के अपने कारणों के एक लिखित संक्षिप्त विवरण को अभिलिखित करेगा।
17. रिटर्निंग आफिसर कार्यवाहियों के किसी स्थगन को अनुज्ञात नहीं करेगा सिवाय तब जब ऐसी कार्यवाहियों में किन्हीं दंगों, हंगामा या उसके नियंत्रण से परे कारणों द्वारा व्यवधान या बाधा न पहुंचाई जाए।
18. वैध नामनिर्देशनों की सूची अंग्रेजी में वर्णानुक्रम में अभ्यर्थी के नाम और पते सहित जैसा कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा विनिश्चय किया जाए, जैसा कि नामनिर्देशन पेपरों में दिया गया है, उसी दिन जिसको नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा पूरी की जाती है, प्रदर्शित या प्रकाशित की जाएगी।
19. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता को उसके द्वारा नगर विक्रय समिति के रिटर्निंग आफिसर को हस्ताक्षरित सूचना द्वारा और व्यक्तिगत रूप से अपने नामनिर्देशन पेपरों को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय किंतु उस दिन के पश्चातवर्ती दिन को जिसको वह नामनिर्देशन प्रकाशित किए जाते हैं, पांच बजे से पूर्व वापस ले सकेगा और अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेने की सूचना एक बार देने के पश्चात् वापस नहीं ली जा सकेगी।
20. यदि वैध अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों से अधिक नहीं होती है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों की सम्यक्तः चुने हुए के रूप में नगर विक्रय समिति को ऊपर पैरा 19 में विनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम को वापस लेने के दिन अंतिम घंटे के पश्चात् घोषित करेगा।
21. यदि वैध अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक होती है तो रिटर्निंग आफिसर इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को निर्वाचनों की संचालन करेगा।
22. रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का संचालन करने के लिए यथावश्यक एक या अधिक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा।
23. उपयोग किया जाने वाला मतदान-पत्र प्ररूप-6 में यथाविहित होगा।
24. स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग आफिसर को मतदान पेटियां, मतदान-पत्र, पथ विक्रेताओं या मतदाताओं की सूची की प्रति और ऐसी अन्य वस्तुएं जो निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों, प्रदान करेगा।
25. मतदान पेटि इस प्रकार विनिर्मित की जाएगी कि मतपत्रों को उसमें डाला जा सके किंतु पेटियों को खोले बिना उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सके।
26. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को पत्र द्वारा जहां मतदान किया जाता है मतदाताओं की पहचान करने के लिए और मतों के अभिलेखन को देखने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की प्ररूप-7 में लिखित सहमति अंतर्विष्ट होगी।
27. जहां निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है वहां किसी भी व्यक्ति द्वारा मतों के लिए याचना प्रतिषिद्ध होगी।
28. निर्वाचनों के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व रिटर्निंग आफिसर उस समय वहां उपस्थित अभ्यर्थियों को खाली मतदान पेटि दिखाएगा और तत्पश्चात् उसे बंद कर देगा और उस पर अपनी मुहर चस्पा करेगा।
29. अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता यदि वांछा करें तो वह अपनी स्वयं की मुहर भी चस्पा कर सकेंगे।

30. प्रत्येक पथ विक्रेता या मतदाता जो अपने मतदान के अधिकार के प्रयोग की वांछा करता है तो सुविधानुसार मुद्रित, टाइप किए हुए या साइक्लोस्टाइल किए हुए अंग्रेजी वर्णानुक्रम में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम को अंतर्विष्ट करने वाले पेपर की आपूर्ति करेगा।
31. मतदान पेपर पर नगर विक्रय समिति की मुहर होगी और उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर और एक स्तंभ अंतर्विष्ट होगा जिस पर मतदाता [x] का चिह्न उन व्यक्तियों के नाम के सामने लगाएगा जिनको वह मत देना चाहता है।
32. प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र और जहां किसी केन्द्र में एक से अधिक पोलिंग बूथ है, ऐसे प्रत्येक बूथ में एक पृथक् कक्ष होगा जिसमें पथ विक्रेता या मतदाता गोपनीयता से अपने मतों को अभिलिखित कर सकते हो।
33. किसी पथ विक्रेता को या मतदाता को तब तक कोई मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मतदान अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि संबंधित पथ विक्रेता या मतदाता वही व्यक्ति है, जो उसे दी गई सूची में नोट किया गया है।
34. मतपत्र की प्राप्ति पर पथ विक्रेता या मतदाता मतदान के प्रयोजन के लिए पृथक् रखे गए कक्ष में अग्रसर होगा और उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नामों को [x] चिह्न द्वारा, यथास्थिति, अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को उपदर्शित करेगा, जिनके पक्ष में वह मत देना चाहता है और मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी गई मतपेटी में अधिकतम गोपनीयता से रख देगा।
35. यदि अंधता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता या असाक्षरता के कारण कोई पथ विक्रेता या मतदाता मतपत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां ऐसे किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों से यह पता लगाएगा कि वह किसके पक्ष में मत देने की वांछा करते हैं, उसके निमित्त [x] चिह्न लगाएगा और मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा।
36. यदि मतदान के किसी प्रक्रम पर कार्यवाहियों में किसी दंगे या हंगामे के कारण कोई बाधा या रुकावट आती है या ऐसे निर्वाचनों में किसी पर्याप्त कारण से निर्वाचन का संचालन संभव नहीं होता है तो रिटर्निंग आफिसर को मतदान को रोकने के कारणों को रोकने की कार्यवाई के कारणों को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध करते हुए, रोकने की शक्ति होगी।
37. किसी पथ विक्रेता या मतदाता को मतदान के लिए नियत घंटों के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किंतु कोई मतदाता, जो उन परिसरों में, जहां मतपत्र जारी किए जाते हैं, मतदान के समय से पूर्व प्रविष्ट हो जाता है, को मतपत्र जारी किया जाएगा और उसे मत देना अनुज्ञात किया जाएगा।
38. मतपत्रों की गणना मतदान समाप्त होने के तुरंत पश्चात् की जाएगी।
39. यदि तुरंत मतगणना संभव नहीं हो तो मतपेटियों को रिटर्निंग आफिसर और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को यदि वह ऐसी वांछा करें कि मुहर लगाकर मुहरबंद कर दिया जाएगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा कर दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर घोषणा करेगा कि गणना अगले दिन की जाएगी।
40. मतगणना रिटर्निंग आफिसर के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी।
41. प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा किंतु गणना के समय उनकी अनुपस्थिति से गणना और परिणामों की रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषणा निष्प्रभावी नहीं होगी।
42. प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिए गए मतों की संख्या और निर्वाचनों के परिणाम की रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतगणना पूर्ण होने के पश्चात् यथाशीघ्र घोषणा की जाएगी।
43. निर्वाचनों के परिणाम को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा और उसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उसको नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर भी तुरंत अधिसूचित किया जाएगा।
44. मतों के बराबर रहने की दशा में रिटर्निंग आफिसर सिद्धा उद्घालकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा।
45. मतपत्र को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि,—
 - (i) उस पर कोई ऐसा चिह्न लगा है, जिसके द्वारा पथ विक्रेता के मत की पहचान नहीं की जा सकती है;
 - (ii) उस पर नगर विक्रय समिति की मुहर या रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर नहीं है;
 - (iii) उस पर मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है कि जिससे यह संदेहास्पद हो जाता है कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया है;

(iv) वह इस प्रकार नष्ट या विक्रित है कि उसकी वास्तविक मतपत्र के रूप में पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

46. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात् निर्वाचन का परिणाम और उसकी रिपोर्ट से स्थानीय प्राधिकरण के साथ सरकार को रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम घोषित होने के तीन दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा।

47. निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर मतपत्र और अभिलेखों को एक मुहरबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकरण को सौंपेगा और उन्हें सुरक्षित रूप से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अगले निर्वाचन परिणामों के उपलब्ध होने तक परिरक्षित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा तथा निर्वाचनों के अभिलेखों को सौंपने तथा लेने की प्रति सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरण को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भेजी जाएगी।

प्ररूप-1

[नियम 7 देखें]

[शिकायत प्रतितोषण और विवाद समाधान समिति को आवेदन]

1. आवेदक का नाम और पता :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या :
3. विक्रय का स्थान ☐ (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूरे ब्यौरे दें) :
4. विक्रय की प्रकृति (समुचित निशान लगाएं) :

(क) लेखन सामग्री

(क)

(ख) मोबाइल

(ख)

(ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है, तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें) ☐

(ग)

5. विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने की तारीख :
(विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि जारी किया गया हो)
6. शिकायत प्रतितोषण या विवाद के समाधान के आधार (पूरा ब्यौरा दें और पृष्ठ संलग्न करें यदि अपेक्षित हो) :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

घोषणा

मैं,.....आवेदक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

टिप्पण - कृपया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

प्ररूप-2

[नियम 9 देखें]

[शिकायत प्रतितोषण और विवाद समाधान समिति के विनिश्चय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील]

1. आवेदक का नाम और पता :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या :
3. विक्रय का स्थान ☐ (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूरे ब्यौरे दें) :
4. विक्रय की प्रकृति (समुचित निशान लगाएं) :

(क) लेखन सामग्री

(क)

(ख) मोबाइल

(ख)

(ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है, तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें) ☐

(ग)

5. समिति का विनिश्चय :

(विवाद समाधान समिति के विनिश्चय की प्रति संलग्न करें—

(क) विनिश्चयों की संख्या; और

(ख) विनिश्चयों की तारीख)

6. अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दें और पृष्ठ संलग्न करें यदि अपेक्षित हो) :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

घोषणा

मैं,.....आवेदक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

टिप्पण - कृपया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

प्ररूप-3

[नियम 10 देखें]

[नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील]

1. आवेदक का नाम और पता :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या :
3. विक्रय का स्थान ☐ (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूरे ब्यौरे दें) :
4. विक्रय की प्रकृति (समुचित निशान लगाएं) :

(क) लेखन सामग्री

(क)

(ख) मोबाइल

(ख)

(ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है, तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें) ☐

(ग)

5. विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने की तारीख (विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि जारी किया गया हो) :
6. उस आदेश की प्रकृति जिसके विरुद्ध अपील की गई है (समुचित निशान लगाएं) :

(क) विक्रय प्रमाणपत्र का जारी करना;

(क)

(ख) विक्रय प्रमाणपत्र को रद्द करना; या

(ख)

(ग) विक्रय प्रमाणपत्र को निलंबित करना:

(ग)

7. अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दें और पृष्ठ संलग्न करें यदि अपेक्षित हो) :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

घोषणा

मैं,.....आवेदक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर.....

टिप्पण - कृपया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

प्ररूप-4

[नियम 24 देखें]

नगर विक्रय समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

(I)	सर्वेक्षण- (क) वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या; (ख) सर्वेक्षण पूरा करने की तारीख सहित क्षेत्र और वार्ड का नाम जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है; (ग) सर्वेक्षण आरंभ करने की तारीख और उसके संभवतः पूरा होने की तारीख सहित क्षेत्र और वार्ड का नाम जहां सर्वेक्षण कार्य चल रहा है; (घ) वर्ष के अंतिम दिन को वार्ड वार रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या;	:	
(II)	विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान- (क) वर्ष के दौरान विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या (वार्ड वार) ; (ख) वर्ष के दौरान निपटान की गई आवेदनों की संख्या (वार्ड वार) जिसमें से- (i) स्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या; (ii) नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या; (iii) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या;	:	
(III)	विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन के मामले- (क) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें वर्ष के दौरान विक्रय के प्रमाण पत्र को निलंबित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई (ख) वर्ष के दौरान निलंबन के निपटान किए गए मामले जिनमें- (i) निलंबित किए गए विक्रय के प्रमाण पत्र की संख्या; (ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी किए गए विक्रय के प्रमाण पत्र; (iii) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित मामले;	:	
(IV)	विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन- (क) वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन का प्रतिसंहरण करने के लिए	:	

	आवेदनों की संख्या; (ख) ऊपर (क) में प्राप्त आवेदनों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया जिनमें - (i) ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें निलंबन का प्रतिसंहरण किया गया और विक्रय प्रमाण पत्र को पुनः विधिमान्य किया गया; (ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी रखा गया निलंबन; (ग) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार प्रतिसंहरण के लिए आवेदनों की संख्या;		
(V)	विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले- (क) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई; (ख) वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के निपटाए गए मामलों की संख्या जिनमें - (i) रद्द किए गए विक्रय प्रमाण पत्रों की संख्या; (ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी रखे गए प्रमाण पत्र; (ग) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या;	:	
(VI)	वर्ष के दौरान आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठकों की संख्या;	:	
(VII)	वार्ड, क्षेत्र/कालोनी/मार्ग, विक्रय जोन के मानचित्र सहित पहचाने गए विक्रय जोनों की वार्डवार सूची तथा उनकी धारण क्षमता;	:	
(VIII)	वार्ड वार रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या जिन्हें अधिसूचित विक्रय जोनों में शामिल किया गया है	:	
(IX)	अन्य कार्यकलाप- (1) (क) वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों की संचालित की गई सामाजिक संपरीक्षा; (ख) वर्ष के दौरान प्रत्यय, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की पथ विक्रेताओं के लिए अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने के लिए किए गए संवर्धनकारी उपाय; (ग) वर्ष के दौरान लोगों में पथ विक्रेताओं की अर्थव्यवस्था में भूमिका के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उठाए गए कदम। (2) यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति से ऐसे रिटर्न ऐसे प्ररूप में जिसकी समय समय पर मांग की जाए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।	:	

प्ररूप-5
(अनुसूची का पैरा 8)
[नामनिर्देशन प्ररूप]

सेवा में,
रिटर्निंग आफिसर
.....
नगर विक्रय समिति
.....

महोदय,

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री.....श्री/श्रीमती/सुश्री.....पथ विक्रेता, नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय कर रहा हूँ (विक्रय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या.....) एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री पत्नी/पुत्र/पुत्री..... और जो उक्त नगर विक्रय समिति के पथ विक्रेता हैं (विक्रय/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....) के नाम की उक्त समिति के सदस्य के पद के लिए तारीख.....को होने वाले निर्वाचन के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर.....

विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाण पत्र संख्या.....

मैं, ...पत्नी/पुत्र/पुत्री.....श्री/श्रीमती/सुश्री..... नगर विक्रय समिति का विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाणपत्र संख्या.....उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

समर्थनकर्ता का नाम और हस्ताक्षर.....

विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाण पत्र संख्या.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं, ...पत्नी/पुत्र/पुत्री.....श्री/श्रीमती/सुश्री..... नगर विक्रय समिति का विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाणपत्र संख्या..... नगर विक्रय समिति के निर्वाचन में, अपने नामनिर्देशन के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि –

- (i) मैं नगर विक्रय समिति का कर्मचारी नहीं हूँ;
- (ii) मैं मत देने के लिए पात्र हूँ;
- (iii) मैंने, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) और उसके अधीन बनाए गए 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र', पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2020 के उपबंधों के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है।

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर.....

विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाण पत्र संख्या.....

[illegible]

प्ररूप-7

[निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम निर्देशन]

(अनुसूची का पैरा 26 देखें)

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्रीमती/सुश्री.....पथ विक्रेता नगर विक्रय समिति (विक्रय संख्या का प्रमाण पत्र.....) की अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय कर रहा हूँ उक्त समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ रहा हूँ, निम्नलिखित व्यक्ति को को आयोजित होने वाले (तारीख विनिर्दिष्ट करें) नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन में अपना निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर.....

विक्रय संख्या का प्रमाण पत्र

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्रीमती/सुश्री.....पता.....निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता बनने के लिए सहमत हूँ।

अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

[फा.सं.]

अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

[फा. सं.के-13011(11)/73/2017-यूपीए-II]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

G.S.R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 read with sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules for the Union territory of Ladakh, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Union Territory of Ladakh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
 - (b) “Bye-laws” mean the bye-laws made under section 37 of the Act;
 - (c) “committee” means the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee constituted under sub-section(1) of Section 20 of the Act;

- (d) “form” means a form in the schedule to these rules;
- (e) “Government” means the Administrator of the Union territory of Ladakh;
- (f) “local authority” means the local authority defined under clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
- (g) “Municipal Commissioner” means the Commissioner of a Municipal Corporation or Chief Officer of a Municipal Council and includes the Vice-Chairman of the Union Territory Development Authority, if any; or as the case may be, the Chief Executive Officer of the Cantonment Board ;
- (h) “scheme” means a scheme framed by the Central Government under section 38 of the Act;
- (i) “section” means a section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGULATION OF STREET VENDING

3. **Prescription of age for issue of certificate of vending.**- A street vendor who has completed the age of fourteen years shall be issued a certificate of vending in the manner provided under section 4 of the Act.

CHAPTER III

DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

4. **Constitution of Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee.**- (1) There shall be constituted a Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee for each local authority, constituted by the Government under sub-section (1) of section 20 of the Act, comprising of a Chairperson, who has been a civil judge or a judicial magistrate and two other professionals as members.

(2) The Chairperson and members of the committee shall be appointed by the Government for a period of five years:

Provided that no Chairperson shall hold office as such after he has attained the age of sixty-seven years.

5. **Qualifications and experience for appointment as member.**- A person shall be qualified to be appointed as a professional member of the committee, if he,-
- (i) is above thirty-five years but is not more than sixty-five years of age;
 - (ii) possesses a Bachelor's degree in any subject from a recognised university; and

- (iii) is a person of ability, integrity and standing and has adequate knowledge or experience of, at least ten years in social work or dealing with the problems relating to street vendors or of public affairs or of municipal or public administration.

6. Salaries, other allowances and terms and conditions of service of Chairperson and members.- (1) The Chairperson and members of the committee shall receive salary, allowances and other perquisites as may be notified by the Government from time to time;

(2) The Government may remove from the office, the Chairperson and member, if he,-

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of action as such Chairperson or member, as the case may be; or
- (d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairperson or a member, as the case may be; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairperson or member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of sub-rule (2), except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

(3) The terms and conditions of the service of the Chairperson and members of the committee shall not be varied to their disadvantage during tenure of office.

7. Form and manner of making application to committee.- (1) Every application for redressal of a grievance or resolution of a dispute under sub-section (2) of section 20 of the Act shall be in Form-1.

(2) The application shall be signed by the applicant and presented by him in person or through his authorised representative to the committee or such other person as may be authorised by that committee in this behalf.

(3) The application shall be filed in three sets and shall be accompanied by fee of rupees one hundred.

(4) The application shall be accompanied by a copy of the order or notice, if any, against which the application is made and other relevant documents.

(5) Such application shall be filed by the street vendor within thirty days from the date of occurrence of any incident causing grievance or dispute:

Provided that the committee may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.

8. Manner of verification of application and enquiry.- (1) Every application for redressal of grievance on receipt, shall be entered and numbered in seriatum by the person authorised in this behalf by the committee in a register kept for this purpose.

(2) The person authorised in this behalf, after making an entry in the register shall put up the application before the committee.

(3) The committee shall fix a date for hearing of the application which shall not be later than fifteen days from the date of filing of the application and shall issue notice of the hearing to the parties.

(4) The committee while issuing a notice containing a statement to this effect under sub-rule (3), shall call upon the respondent to submit a written statement.

(5) On the date fixed for the appearance of the parties, the committee may call upon the applicant to remedy the defects, if any, or may call upon the parties to furnish relevant records or such other documents or evidence as it may deem fit and proper within such period as may be specified by it.

(6) The committee may order for a field enquiry in connection with the contentions made by the parties with reference to the records submitted by them.

(7) The committee after hearing both the parties and examining the record of the case shall decide the application and pass such orders as it may deem fit and proper within sixty days from the date of presentation of the application:

Provided that during the hearing of the case, if the committee is satisfied that an interim relief should be provided, the Committee may until the conclusion of the case or until further orders, pass interim orders.

(8) The committee may explore the possibility of a settlement between the parties and in case the parties arrive at a settlement, it shall record the settlement, which shall be signed by the parties or their authorised representatives or officers and shall dispose of the application accordingly.

(9) The committee shall not entertain an application where the,-

- (a) application is anonymous or it contains general and vague allegations;
- (b) matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or quasi-judicial authority;
- (c) matter is beyond the purview of the Act;
- (d) applicant has no locus standi to file the application.

CHAPTER IV**APPEALS**

- 9. Appeal against order or decision of committee.-** (1) An appeal against an order or decision of the committee may be preferred by an aggrieved person in Form-2, to the local authority within thirty days from the date of communication of such order or decision appealed against:

Provided that the local authority may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time.

(2) The appeal shall be in the form of a memorandum and shall be signed by the appellant and presented in person or through his authorised representative to the local authority.

(3) The memorandum of appeal shall be accompanied by the original order or certified copy of the order, if any, against which the appeal is preferred.

(4) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by fee of rupees two hundred.

(5) No such appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the respondent or respondents, as the case may be and proof of such service has been filed along with the appeal.

(6) No appeal shall be entertained where the order has been passed by the committee in terms of the settlement arrived between the parties.

- 10. Appeal from decision of Town Vending Committee.-** (1) An appeal under section 11 against the decision of the Town Vending Committee with respect to issue or cancellation or suspension of certificate of vending shall be preferred before the local authority in Form-3, within thirty days from the date of communication of the order appealed against:

Provided that the local authority may condone the delay in case it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time:

Provided further that in the absence of Chairperson any one of the members designated by the Chairperson may chair the meeting of the local authority.

(2) The appeal shall be in the form of a memorandum and signed by the appellant and presented in person or through his authorised representative, either in English, Hindi or the local language.

(3) The memorandum of appeal shall be accompanied by the original order or certified copy of the order, if any, against which the appeal is preferred.

(4) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by fee of rupees two hundred.

(5) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Town Vending Committee which made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.

11. Procedure for disposal of appeals by local authority.- (1) The officer or the person authorised in this behalf by the local authority shall make an entry of the appeal in the register kept for the purpose with the date on which it was presented.

(2) The appeal shall be put up before the local authority which shall fix a date for hearing of the appeal not later than fifteen days from the date of filing of the application and cause notice of the hearing to the parties.

(3) The local authority shall, on the basis of submissions made before it by the parties and records of the case and on the basis of field enquiry, if any, pass such order, as it may deem fit and proper, with reasons to be recorded in writing, confirming, modifying or annulling the order appealed against within sixty days from the date of receipt of the appeal by the local authority:

Provided that during the hearing of the case, if the local authority is satisfied that an interim relief should be provided, the local authority may until the conclusion of such case or until further orders, pass interim orders.

CHAPTER V

TOWN VENDING COMMITTEE

12. Constitution of Town Vending Committee.- (1) The Government shall constitute one Town Vending Committee in the local authority:

Provided that the Government may, if it considers necessary, provide for constitution of more than one Town Vending Committee for each zone or ward in the Local authority.

(2) The Municipal Commissioner or Chief Executive Officer, as the case may be, shall be the Chairperson of the Town Vending Committee.

(3) The number of other members of the Town Vending Committee nominated by the Government shall be as under:-

Sl. No.	Member	Number of members
(i)	other members representing the local authority, medical officer of the local authority, the planning authority, traffic police, police, market associations, traders associations, resident welfare associations and such other interests	03
(ii)	Street vendors of whom one-third shall be women vendors, with due representation of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities)	04

- | | |
|---|----|
| (iii) members representing non-government organisations and community based organisations | 01 |
| (iv) members representing banks | 01 |

(4) The nomination of members representing non-governmental organisations or community based organisations or resident welfare associations shall be carried out on the basis of criteria laid down by the Government, after inviting applications, by publishing the same in at least two local newspapers or publicising in any other manner.

13. Manner of election of members from amongst street vendors.-(1) The local authority shall, by notification conduct elections for the nomination of members representing the street vendors of the area under its jurisdiction.

(2) The local authority shall appoint a returning officer for conducting the election under sub-rule (1).

(3) The returning officer appointed under sub-rule (2) shall, conduct the elections in the manner provided in the Schedule appended to these rules.

(4) A street vendor shall be disqualified to be elected as member, if, he is,-

- (i) convicted of an offence involving moral turpitude; and
- (ii) physically and, or mentally incapable of discharging his duties as member.

(3) The names of the elected members from amongst the street vendors shall be intimated by the local authority to the Government which shall upon receipt of such names along with other members nominated by it, notify the constitution of the Town Vending Committee in each local authority.

14. Term of other members.-(1) The term of other members of the Town Vending Committee shall be five years from the date of their nomination.

(2) The process of nomination of other members shall be completed before the expiry of the term.

15. Removal of members.- Any member of a Town Vending Committee may be removed by the Government, if he,-

- (a) persistently makes default in the performance of duties imposed on him under the Act and the rules or exceeds or abuses his powers;
- (b) remains absent for three consecutive meetings of the committee without the permission of the Chairperson;
- (c) is convicted of any criminal case by a court of law;

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

16. Method of filling vacant post.- (1) Where any vacancy occurs in a Town Vending Committee due to resignation, death, removal or otherwise of any member, other than a street vendor, the procedure specified in rule 12 shall be followed to fill up such vacancy and the member so nominated shall continue to be a member for the remaining period of term of that member in whose place he has been nominated.

(2) Where any vacancy occurs in a Town Vending Committee due to resignation, death, removal or otherwise of any member who is a street vendor, the local authority shall fill up that vacancy as specified in rule 13 and the member so elected shall continue to be a member for the remaining period of term of that member in whose place he has been elected.

17. Allowances to Chairperson and other members.- The allowances payable to the Chairperson and other members of a Town Vending Committee, shall be rupees one thousand for attending the meeting.

18. Meetings of Town Vending Committee.- (1) A Town Vending Committee shall ordinarily hold one meeting within a period of three months or at any such interval as the Chairperson may decide for the transaction of its business:

Provided that the meeting of a Town Vending Committee shall be convened by the Chairperson within forty-five days of its constitution:

Provided further that a requisition meeting may be called by the Chairperson on a specific issue on the request of not less than one-third of the members of that Committee and the meeting shall be convened within seventy-two hours after receiving the request.

(2) The meetings shall be held at the headquarters of the local authority or at such place within the jurisdiction of the local authority as may be decided by the Chairperson.

(3) A notice shall be issued before seven days of a scheduled meeting to all the members along-with the agenda of the meeting.

(4) The quorum for the meeting shall be two-third members of the total strength of that Committee.

(5) No meeting shall be held in the absence of the quorum and where there is no quorum, the meeting shall be adjourned.

19. Procedure for transaction of business.- (1) The Town Vending Committee shall follow such procedure for transaction of its business as may be decided by the Chairperson in consultation with other members.

(2) Subject to the provisions of the Act and rules and notwithstanding anything contained in the bye-laws, the resolution passed in the meeting of a Town Vending Committee shall be by not less than two-thirds of the members present and voting.

(3) The Chairperson shall ensure that the minutes of each meeting are recorded which shall be signed by him, circulated amongst the members and published on its website, if available, within one month of the meeting.

20. Functions of Town Vending Committee.- A Town Vending Committee shall perform the following functions, namely:-

- (a) identify sites and spaces for vending;
- (b) regulate timings for vending to ensure non-congestion of public spaces;
- (c) ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors;
- (d) follow up cases of dispute pending before the committee and the local authority;
- (e) hold meetings and take appropriate decisions to ensure efficient discharge of its functions;
- (f) publish the street vendor's charter in at least one local language, Hindi and English newspapers of repute and display in the office and other offices of the local bodies, specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein; and
- (g) perform such other functions for effective implementation of the Act and the rules as may be delegated to it by the local authority or the Government.

21. Temporary association of expert persons.-(1) A Town Vending Committee may associate any suitable person of repute having adequate knowledge and experience in the field, as expert to obtain technical or professional advice on matters relating to street vendors.

(2) The person to be associated as expert under sub-rule (1) shall be selected in a fair and transparent manner and by following the procedure for engagement of consultants and experts as technical or professional experts in Government Departments.

(3) The person associated as expert under sub-rule (1) shall be paid allowances as determined by the local authority.

(4) The person associated as expert under sub-rule (1) may take part in the meetings of the Town Vending Committee, but such persons shall not have voting right

- 22. Employees of Town Vending Committee** - The local authority shall make available to the Town Vending Committee such number of employees as it may consider necessary for discharge of the functions.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

- 23. Maintenance of records.**- Every Town Vending Committee shall maintain upto date records of registered street vendors and of those street vendors to whom certificate of vending has been given in electronic form or manually or in both forms, as may be decided by the local authority.
- 24. Town Vending Committee to furnish returns.**- Every Town Vending Committee shall prepare and furnish to the Government and the local authority, periodical returns for each year with details in Form-4.
- 25. Manner of publication of scheme.**- (1) A summary of the scheme notified by the Government shall be published by the local authority by a public notice given in two prominent daily newspapers for being widely circulated known in the area or locality of its jurisdiction within seven days from the date the scheme is notified by the Government.
- (2) The notice shall be signed by the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer of the local authority, as the case may be, or by an officer authorised by him in this behalf.
- (3) The notice shall be in such language or languages as the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer of the local authority, as the case may be, specify in this behalf.

SCHEDULE

[See rule 13]

[PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS OF MEMBERS OF TOWN VENDING COMMITTEE REPRESENTING STREET VENDORS]

1. The local authority concerned shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town Vending Committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.
2. As soon as the notification expressing the intention of the local authority to conduct elections for members of a Town Vending Committee representing the street vendors has been issued under sub-rule (1) of rule 13 and a returning officer has been appointed for conducting the elections under sub-rule (2) of that rule, the local authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of elections.
3. The notice of the resolution or decision of the local authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, by any of the following modes, namely:-

- (a) by public notice published in two prominent daily newspapers in Hindi, English or such other language as the local authority thinks fit;
- (b) by local delivery;
- (c) by post under certificate of posting;
- (d) by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer and such notice shall contain information regarding,-
 - (i) number of members to be elected including seats reserved for representatives of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, women, persons with disabilities or any other specified categories;
 - (ii) date, place and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday.

Explanation.- The term “public holiday” means any day which is a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [26 of 1881] or any day which has been notified by the Government to be a public holiday for offices under the Government;

- (iii) date and the hour for scrutinisation of the nomination papers;
 - (iv) date, place and hours of polling.
4. The local authority shall prepare a list of street vendors in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee as it stood thirty days before the date fixed for inviting the nominations and publish copies of the said list by affixing them on the notice board of the office of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations.
 5. The list shall specify the registration number or number of certificate of vending and the name of the street vendor, the name of the father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor.
 6. The Town Vending Committee or the local authority, as the case may be, shall bring up-to-date register of street vendors and such other register as the returning officer may require and hand over such records, register or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election.
 7. A copy of the list shall be supplied by the Town Vending Committee or the local authority, or returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the local authority.

8. The nomination of the candidates shall be made in Form-5 which shall be supplied by the returning officer to any street vendor, free of cost.
9. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order along with the nomination papers and if he fails to get less than one-sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited.
10. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the returning officer.
11. The returning officer shall enter the serial number on the nomination paper and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement bearing the seal of the Town Vending Committee or the returning officer.
12. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.
13. On the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall take up the scrutiny of the nomination papers.
14. The returning officer shall examine the nomination papers and raise objections, which may be made by any person in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder, or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in paragraph 4 if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

15. The returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid.
16. The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.
17. The returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control;

18. The list of valid nominations as decided by the returning officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers will be displayed or published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.
19. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 05.00 pm on the day following the day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee and a notice of withdrawal of candidates once given shall be irrevocable.
20. If the number of valid candidates does not exceed the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates duly elected to the Town Vending Committee after the closing hour of the day of withdrawal of candidatures specified in paragraph 19 above.
21. If the number of valid candidates exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose.
22. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll.
23. The ballot paper to be used shall be as prescribed in Form-6.
24. The local authority shall provide the returning office with ballot boxes, ballot papers copy of list of street vendors or voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections.
25. The ballot box shall be so constructed that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked.
26. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer appoint an agent to represent him where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes and such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned in Form-7.
27. Canvassing for votes by any person at the place where elections are to be conducted shall be prohibited.
28. Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at that time and shall then lock it up and fix his seal.
29. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desire
30. Every street vendor or voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in the English alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper.

31. The ballot paper shall bear the seal of the Town Vending Committee and initials of the returning officer and contain a column, for the voter to inscribe his mark [x] against the names of persons to whom he wants to vote.
32. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendors or voters can record their votes in secrecy.
33. No ballot paper shall be issued to a street vendor or voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor or voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him.
34. On receipt of ballot paper, the street vendor or voter shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy.
35. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor or voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.
36. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such elections, it is not possible to conduct the poll for any sufficient cause, the returning officer shall have the power to stop the polling, recording his reasons for such action in the minute book of the Town Vending Committee.
37. No street vendor or voter shall be allowed after the hours fixed for the poll but a voter, who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.
38. The counting of votes shall take place immediately after close of the poll.
39. If immediate counting is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and the contesting candidates or their agents, if they so desired, and deposit with the local authority for safe custody and the returning officer shall then announce the counting to be done the next day.
40. The votes shall be counted by or under the supervision of the returning officer.
41. Each candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting, but their absence at the time of counting shall not vitiate counting and announcement of results by returning officer.
42. The number of votes secured by each candidate and the result of the elections shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over.

43. The result of the elections shall be recorded in the minute book of the Town Vending Committee and attested by the returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.
44. In case of equality of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.
45. The ballot paper shall be rejected by the returning officer if,-
- (i) it bears any mark by which the street vendor's vote can be identified;
 - (ii) it does not bear the seal of the Town Vending Committee or the initials of the returning officer;
 - (iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast;
 - (iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.
46. After the result of election has been announced, the result of the election and a report thereon shall be communicated to the local authority as well as to the Government by the returning officer within three days of the declaration of result.
47. After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records to the local authority in a sealed cover and the same shall be safely preserved by the local authority till the next election results are available and shall thereafter be destroyed by the local authority and a copy of the handing over and taking over record of elections shall be sent to the Government as well as local authority by the returning officer along with his report.

FORM-1

[See rule 7]

[APPLICATION TO THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE]

1. Name and address of the applicant :
2. Registration number/ case number/ ID number :
3. Place of vending - :
(give full details of location, zone ward, etc.)
4. Nature of vending (Tick the appropriate) - :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| (a) stationary | (a) | <input type="text"/> |
| (b) mobile | (b) | <input type="text"/> |
| (c) any other category (if other, please specify the category) | (c) | <input type="text"/> |

5. Date of issue of certificate of vending :
(attach a copy of certificate of vending, if issued)

6. Grounds of redressal of grievance or resolution :
of dispute (give full details and attach more
pages, if required)

Signature of applicant

DECLARATION

I, ..., the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of applicant

Note.- Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM-2

[See rule 9]

[APPEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAINST THE DECISION OF THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE]

1. Name and address of the applicant :
2. Registration number/ case number/ ID number :
3. Place of vending - :
(give full details of location, zone ward, etc.)

4. Nature of vending (Tick the appropriate) - :

(a) stationary (a) ☐

(b) mobile (b) ☐

(c) any other category (if other, please specify the category) (c) ☐

5. Decision of the Committee :

(attach the copy of the decision of the Dispute
Redressal Committee, giving-

(a) the number of decisions; and

(b) the date of the decisions.)

6. Grounds of appeal (give full details and :
attach more pages, if required)

Signature of appellant

DECLARATION

I, ..., the appellant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of appellant

Note.- Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM-3

[See rule 10]

[APPEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAINST THE DECISION OF THE TOWN VENDING COMMITTEE]

1. Name and address of the applicant :

2. Registration number/ case number/ ID number :

3. Place of vending - :
(give full details of location, zone ward, etc.)

4. Nature of vending (Tick the appropriate) - :

(a) stationary (a) ☐

(b) mobile (b) ☐

(c) any other category (if other, please specify the category) (c) ☐

5. Date of issue of certificate of vending :
(attach a copy of certificate of vending, if issued)

6. Nature of the order appealed against :
(Tick the appropriate)

(a) issuance of certificate of vending; (a) ☐

(b) cancellation of certificate of vending; or (b) ☐

(c) suspension of certificate of vending: (c) ☐

7. Grounds of appeal (give full details :
and attach more pages, if required)

Signature of appellant

DECLARATION

I, ..., the appellant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of appellant

Note.- Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM-4*[See rule 24]***[RETURN TO BE FURNISHED BY THE TOWN VENDING COMMITTEE]**

[I]	Survey- (a) the number of street vendors surveyed during the year; (b) name of area and wards where survey work has been completed along with date of completion of survey; (c) name of area and wards where survey work is in progress along with the date of start of survey and the date of likely completion; (d) the number of registered street vendors ward wise as on the last day of the year;		
[II]	Receipt and disposal of applications for issue of certificate of vending- (a) the number of applications (ward wise) received for issue of certificate of vending during the year; (b) the number of applications (ward wise) disposed of during the year of which- (i) the number of applications accepted; (ii) the number of applications denied; (iii) the number of applications pending as on the last day of the year;	:	

[III]	Cases of suspension of certificate of vending- (a) the number of cases in which action for suspension of certificate of vending initiated during the year; (b) the number of cases of suspension disposed of during the year of which- (i) the number of certificate of vending were suspended; (ii) the number of cases closed and the certificate of vending continued; (iii) the number of cases pending as on the last day of the year;	:	
[IV]	Applications for revocation of suspension of certificate of vending- (a) the number of applications for the revocation of suspension of certificate of vending received during the year; (b) the number of applications received at (a) above disposed of during the year of which- (i) the number of applications where suspension revoked and the certificate of vending revalidated; (ii) the number of cases closed and suspension continued; (c) the number of applications for revocation of suspension pending as on the last date of the year;	:	
[V]	Cases of cancellation of certificate of vending-	:	

	(a) the number of cases in which action for cancellation of certificate of vending initiated during the year; (b) the number of cases of cancellation of certificate of vending disposed of during the year of which- (i) the number of certificates of vending cancelled; (ii) the number of cases closed and certificate continued; (c) the number of cases pending on the last day of the year;		
[VI]	The number of meetings of Town Vending Committee held during the year;	:	
[VII]	Ward wise list of vending zones identified along with the details such as ward, area/colony, road, map of the vending zone, and the holding capacity;	:	
[VIII]	Ward wise number of registered street vendors that have been accommodated in the notified vending zones;	:	
[IX]	Other activities- (1) (a) the social audit of its activities conducted during the year; (b) promotional measures taken for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security of the street vendors during the year; (c) steps taken during the year to raise awareness among the public about the role of street vendors in the economy.	:	

	(2) The Government or the local authority, as the case may be, may require a Town Vending Committee to furnish such other return or returns in such proforma as demanded from time to time.		
--	---	--	--

Form-5**(See paragraph 8 of Schedule)****[NOMINATION FORM]**

To

The Returning Officer,

.....

Town Vending Committee

.....

Sir,

I, ..., wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration Certificate of Vending No.) hereby propose the name of Shri/Smt./Ms. wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms. and a street vendor of the said Town Vending Committee (Registration/Certificate of Vending No.) as a candidate for the post of Member of the said Committee for the election to be held on

Name and signature of the proposer

Registration/Certificate of Vending No.

I, ..., wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms.
Registration/Certificate of Vending No. of Town Vending Committee, hereby second the above proposal.

Name and Signature of the Seconder

Registration/Certificate of Vending No.

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I, ..., wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms. Registration/Certificate of Vending No. of Town Vending Committee, hereby agree to my nomination for the election as Member of the Town Vending Committee.

I further declare that-

(i) I am not an employee of the said Town Vending Committee;

(ii) I am eligible to vote;

(iii) I do not incur any disqualification for election as Member of the said Town Vending Committee under the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014) and the 'Union Territory of Ladakh' Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2020 made thereunder.

Name and Signature of the Candidate

Registration/Certificate of Vending No.

(FOR OFFICE USE ONLY)

Received the nomination form at a.m./p.m. on

Signature of the Returning Officer

Seal

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form of presented by Shri/Smt./Ms. candidate/proposer/seconder for election at a.m./p.m. on

Signature of the Returning Officer

Seal

Form- 6

(See paragraph 23 of Schedule)

[BALLOT PAPER FOR ELECTION]

The

Town Vending Committee

.....

..... (Address)

(Counterfoil)

Ballot paper for the Post of

Date of Election.....

Sl. No.

Certificate of Vending No.

Please mark [x] against one of the candidate

Sl. No.	Name of candidate	Certificate of Vending No.	Mark of casting vote

Form- 7**[NOMINATION OF ELECTION AGENT/ COUNTING AGENT]**

(See paragraph 26 of Schedule)

I, ..., son/wife /daughter of Shri/Smt./Ms., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Certificate of Vending No.) contesting for election of Member of the said Committee, hereby nominate the following person as my election agent/counting agent in the election of Members of the said Town Vending Committee to be held on (specify the date):-

Name and Signature of the Candidate

Certificate of Vending No.

I,.....,son/wife/daughter of Shri/Smt./Ms., address

.....
am willing to be the election agent/counting agent.

Name and Signature of the Agent

[F.No.]

Name of the Officer.....

Designation.....

[F. No. K-13011(11)/73/2017-UPA-II]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.